(09)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

अपील प्रकरण संख्याः 08/2016

पालाराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सिधुवाला तहसील सूरतगढ़

बनाम

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. राज पैरोकार

निर्णय दिनांकः 16.02.2018

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि उसे चक 1 एस.पी.डी. के प.न. 64/324, 66/324 में 3.859 है0 रकबा का नाजायज काश्त का नोटिस मिला, जबकि प.न. 66/324 का 1.455 है0 रकबा तो अपीलांट के पूर्वजो को खातेदारी था व एस्केप में आने से पूर्व ना तो इस रकबा का तबादला लिया था व ना ही इस रकबा के बदले कोइ नकद अवार्ड जारी किया गया था । इसलिए प.न. 66/354 के रकबा तो खातेदारी है रिकार्ड मे रकबा गैर कानूनी तरीके से एस्केप के नाम दर्ज है इसलिए इस रकबा की तो नाजायज काश्त की कार्यवाही तो हो ही नही सकती। व प.न. 64/324 के रकबा का नाजायज काश्त का नोटिस का जवाब में अपीलांट ने निवेदन किया है कि यह रकबा अपीलांट को पुराना कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा इस रकबा को पुख्ता आवंटन की पत्रावली अपीलांट की जैरकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बावजूद भी अपीलांट उक्त रकबा की फसल कुर्क करने, कुर्क शुदा फसल नीलाम करने व पटवारी हल्का का पैनल्टी राशि वसूल करने व अपीलांट को बेदखल करने कब्जा बहस सरकार लेने का निर्णय दिया है, इस निर्णय द्वारा अपीलांट को चार सजायें एक साथ दी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अपील संख्या 08/2016 पर दर्ज किया गया। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये व पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह रकबा अपीलांट के पूर्वजों को खातेदारी था व एस्केप में आने से पूर्व ना तो इस रकबा का तबादला लिया था व ना ही इस रकबा के बदले कोई नगद अवार्ड जारी किया गया था इसलिये अपीलांट द्वारा पत्थर न. 66/324 पर जो काश्त की गई है वह नाजायज नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने पूर्वजों की खातेदारी भूमि पर ही काश्त की गई है। पत्थर न. 64/324 के रकबा अपीलांट के पुराना कब्जा काश्त में चला आ रहा है। सक्षम न्यायालय में पुख्ता आवंटन की पत्रावली जैरकार है। अपीलांट उक्त रकबा आवंटन का पूरा पात्र है। उक्त रकबा नियमन/आवंटन पश्चात किश्ते/नियमन राशि डीएलसी दरों पर जमा करवाने को तैयार है।

बहस के दौरान राज पेरोकार ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा चक 1 एस.पी.डी प.न. 64/324 व 66/324 के रकबा पर नाजायज काश्त की गई है। जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब पेश करने हेतु नोटस दिया गया था। बावजूद सूचना के अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ। पत्थर न. 66/324 का रकबा अपीलांट के पूर्वजों को खातेदारी होनें बावत कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया। उक्त रकबा वर्तमान में एस्केप के नाम से दर्ज है। न की व्यक्तिगत किसी के नाम से। अतः अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई हक नहीं बनता। अपीलांट द्वारा ही यह स्वीकार किया गया है कि पत्थर न. 64/324 पर कब्जा चला आ रहा है व नियमन की पत्रावली सक्षम न्यायालय में जैरकार है। जिससे सिद्व होता है कि प्रार्थी के यह ध्यान में था कि उक्त भूमि राजकीय भूमि है परन्तु फिर भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज काश्त की गई जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जैर अपील निर्णय में अपीलांट को रकबा से बेदखल करनें का दण्ड़ व दिये गये अन्य दण्ड़ नियमानुसार ही है। सिंचाई विभाग द्वारा एरकैप रकबा में पानी छोडने से अपीलांट द्वारा काश्त फसल नष्ट हो चुकी है। जिसकी नीलामी नही की जा सकी। अतः अपील खारिज की जाकर निर्णय यथावत् रखा जावे व अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि तहसीलदार द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत दिनांक 18.9.2015 व 12.10.2015 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस अपीलांट को तामील भी हुये है। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर अधीनस्थ न्यायालय के सम्मक्ष उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

गया है । जिससे सिद्व होता है कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी थी। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किये गया धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलांट द्वारा स्वयं अपील मीमों व अपनी बहस में कथन किया गया है कि जैर अपील भूमि ऐस्केप के नाम से दर्ज है।जिससे सिद्व होता है कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर काश्त की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये है कि तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.10.15 में तत्कालीन पटवारी हल्का घमण्ड़िया को विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु तत्कालीन जिम्मेदार पटवारी हल्का नें अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सूरतगढ़ को नहीं संभलाया व न ही इस बाबत कोई रिपोर्ट पेश की तथा तत्कालीन जिम्मेदार गिरदावर रामसरा जाखडान ने भी इस बाबत कोई कार्यवाही नही की, जो सीधे–सीधे अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा अतिकमी से मिलीभगती को प्रकट करता है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पटवारी एवं गिरदावर के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को दो सप्ताह में पेश करे एवं इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/18

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner